रजिस्ट्री सं॰ डी॰ --(डी एन)--73

REGISTERED NO. D--(DN)--73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 19] नई दिल्ली, शनिवार, मई 12, 1984 (वैशाख 22, 1906)

No. 19] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 12, 1984 (VAISAKHA 22, 1906)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	445
भाग I—खंड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	591
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	795
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खंड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खंड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खंड 3 या खंड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	10285
भाग III—खंड 2—पैटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस	299
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं	35
भाग III—खंड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1639
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्ति और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	75
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	445
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	591
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	795
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administrations of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	10285
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	299
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	35
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1639
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	75
PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi ..	*

*Folio No not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनाक 25 अप्रैल 1984

स० 44-प्रेज/84—राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये राष्ट्रपति का पुलिस पदक का बार सहर्ष प्रदान करते है :—

अधिकारी का नाम तथा पद
श्री राम लाल वर्मा
पुलिस अधीक्षक,
सागर (मध्य प्रदेश)

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया

7 जनवरी, 1979 को सूचना मिली कि डाकू हरी सिंह अहीर का गिरोह गाव खारमऊ, थाना बादा के निकट जगल में है । पुलिस बल को तीन दलों में विभाजित किया गया । श्री राम लाल वर्मा 8–9, अधिकारियो और जवानो के साथ गाव पहुचे, और उस मकान को घेरने की योजना बनाई, जहा गिरोह को 9 जनवरी, 1979 की रात्रि को भोजन करना था । गिरोह मकान मे लगभग 21 30 बजे पहुचा और श्री वर्मा के नेतृत्व मे छोटे पुलिस दल ने, जो उसी मकान के एक कमरे मे छिपा था, मकान को घेर लिया और बचकर निकलने वाले सम्भावित रास्तो पर भी जवान लगा दिए । गिरोह ने सभी आवश्यक एहतियाती उपाय किए और कमरे के दरवाजे पर संतरी तैनात कर दिए ।

जैसे ही गिरोह भीतर आया श्री वर्मा निर्मत स्थान से बाहर आ गए और गिरोह को आत्मसमर्पण करने के लिये ललकारा । गोली बारी ने गिरोह को सावधान कर दिया और उन्होंने लगातार गाली चला कर बचकर भाग निलकने की कोशिश की । डाकुओ के गिरोह ने मकान के पिछले दरवाजे को तोड़कर तथा छत मे बचकर भाग निकलने के कई प्रयास किए लेकिन उनके सभी प्रयास विफल कर दिए गए मुठभेड पूरी रात चलती रही जिसमे पुलिस दल ने अथक तथा साहसी कार्य किया मुठभेड़ के परिणाम स्वरूप डाकू नेता और उसके नौ अन्य साथियों का सफाया हो गया ।

इस मुठभेड़ मे श्री राम लाल वर्मा पुलिस अधीक्षक, सागर ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और नेतृत्व का परिचय दिया ।

2. यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक का बार नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनाक 9 जनवरी, 1979 से दिया जाएगा ।

स० 45-प्रेज/84—राष्ट्रपति मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियो को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है :—

अधिकारियो के नाम तथा पद

श्री केदार सिंह,
सर्कल पुलिस निरीक्षक
बादा,
सागर

श्री आशा राम काले,
प्लाटून कमाण्डर,
7 बी, बटालियन,
एस, ए० एफ०
भोपाल

पुलिस श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर
उप-निरीक्षक,
बांदा
सागर

सवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

सूचना प्राप्त हुई कि डाकू हरी सिंह का गिरोह गाव खारमऊ, थाना बान्दा के पास जंगल मे है । यह सूचना पुलिस अधिक्षक को भेजी गई । पुलिस बल को तीन दलों मे विभाजित किया गया । अधिकारियों तथा कर्मियो का एक छोटा दल, जिसमे की श्री केदार सिंह, सर्कल पुलिस निरीक्षक श्री आशा राम काले, प्लाटून कमाण्डर और श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर, पुलिस उप-निरीक्षक, 9 जनवरी, 1979, को गांव पहुंचे । गिरोह को एक मकान मे, जहा उन्हे भोजन करना था, घेरने की योजना बनाई गई। छोटा पुलिस दल स्वय उसी मकान के एक कमरे मे छिप गया । गिरोह के मकान मे पहुचने के बाद मकान को योजना के अनुसार घेर लिया गया। आत्म समर्पण करने के लिये चुनौती देने पर गिरोह द्वारा कमरे के

दरवाजे पर तैनात किए गए सन्तरियों ने पुलिस अधीक्षक पर गोली चला दी किन्तु पुलिस दल की ओर से तुरन्त जवाबी गोलीबारी से वे दबाव में आ गए। इससे गिरोह सावधान हो गया और उन्होंने गोली चलाते हुए बचकर भागने की कोशिश की। भाग नकलने का अपना रास्ता बन्द देखकर डाकुओं को वापस कमरे के अन्दर आना पड़ा। उन्होंने पुलिस दल के रक्षा घेरे को तोड़ने का बार-बार प्रयास किया लेकिन वे रात भर मुठभेड़ के दौरान अपने अधिक व्यक्तियों की जानें खोकर विफल रहे। रात भर की इस मुठभेड़ में 10 डाकू मारे गये और पुलिस की ओर से कोई हताहत नहीं हुआ।

डाकुओं के साथ इस मुठभेड़ में सर्वश्री केदारसिंह, सर्कल पुलिस निरीक्षक, आशाराम काले, प्लाटून, कमाण्डर और सुरेन्द्र सिंह ठाकुर, उप निरीक्षक, ने उत्कृष्ट वीरता साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

2. ये पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 9 जनवरी, 1979 से दिया जाएगा।

सं० 46-प्रेज/84—राष्ट्रपति मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री राममिलन श्रीवास्तव
पुलिस उप-अधीक्षक
सागर
मध्य प्रदेश।

श्री राघव भूषण
उप-निरीक्षक
बराइथा,
जिला सागर
मध्य प्रदेश।

श्री होम सिंह,
हेड कास्टेबल सं० 446,
दूसरी बटालियन,
एस० ए० एफ०,
ग्वालियर,
मध्य प्रदेश।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

8 जनवरी, 1979 को थाना, बादा के गाव खारमऊ के निकट जंगल में डाकुओं की उपस्थिति की सूचना ने सागर के पुलिस अधीक्षक को उनको घेर लेने का अवसर दिया। अधिकारियों और सिपाहियों का एक छोटा दल गांव में गया और उसने 9 जनवरी, 1979 की रात को गिरोह के सदस्यों द्वारा जिस मकान में भारी शस्त्रों से सुसज्जित थे, को घेर लेने की योजना को अन्तिम रूप दिया। श्री राम मिलन श्रीवास्तव, पुलिस उप-अधीक्षक ने प्रथम पुलिस दल का नेतृत्व किया। पुलिस अधीक्षक के संकेत पर पुलिस बल को तीन दलों में विभाजित किया गया। श्रीराम मिलन श्रीवास्तव छापा मारने वाले दल में थे। जब गिरोह के पहरेदारों को पुलिस ने अपनी जवाबी गोलीबारी से शान्त कर दिया तो पुलिस अधीक्षक दूसरी तरफ गए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके सिपाही डाकुओं के पिछली तरफ से भाग जाने को प्रभावकारी रूप से रोक सकें श्री राम मिलन श्रीवास्तव ने दृढ़ता के साथ गोली चलाने के लिए आक्रमणकारी दल के अपने जवानों को उत्साहित किया। उन्होंने अपने दल को भारी गोलीबार करके आगे से भाग जाने के मार्ग को रोकने का निदेश दिया। छत के ऊपर से हथगोले फेंके जाने के कारण डाकुओं ने पुलिस पर अंधाधुन्ध गोलीबारी की। श्री राम मिलन श्रीवास्तव और उसके जवानों ने डाकुओं के आक्रमण को विफल कर दिया।

छत पर चढ़ने और वहां से भाग जाने के निराशाजनक दूसरे प्रयास में डाकुओं ने उस छज्जे पर गोलीबारी की जहां श्री राघव भूषण मोर्चा सभाले हुए थे। श्री भूषण ने अपने जवानों के साथ गोलीबारी को विफल कर दिया और डाकुओं को भागने नहीं दिया। हेड कांस्टेबल होम सिंह छत के ऊपर चढ़ गए और उन्होंने लगातार लगभग 20 हथगोले फेंके। डाकुओं की गोलियों की बौछार के सामने वे अपने सहास के कारण हर बार बच गए और उन्होंने अधिकांश डाकुओं को मार गिराया। मुठभेड़ सारी रात चलती रही जिसमें 10 डाकू मारे गए।

डाकुओं के साथ मुठभेड़ में पुलिस उप-अधीक्षक राम मिलन श्रीवास्तव, पुलिस उप-निरीक्षक राघव भूषण तथा हेड कांस्टेबल होम सिंह ने उत्कृष्ट वीरता तथा उच्च कोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 9 जनवरी 1979 से दिया जाएगा।

सं० 47-प्रेज/84—राष्ट्रपति महाराष्ट्र पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री फतेसिंह सोहनराव गायकवाड,
पुलिस उप-निरीक्षक,
अपराध शाखा,
ग्रेटर बम्बई,

श्री डी० आई० रेडकर
हेड कान्स्टेबल,
अपराध शाखा,
सी० आई० डी०,
ग्रेटर बम्बई,

श्री डी० डी० पवार,
पुलिस नायक,
अपराध शाखा,
सी० आई० डी०,
ग्रेटर बम्बई ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

2 मार्च, 1983, को उपराध शाखा, सी० आई० डी० ग्रेटर बम्बई के पुलिस उप निरीक्षक, फतेसिंह सोहनराव गायकवाड़, हेड कान्स्टेबल, डी० आई०, रेडकर और पुलिस नायक डी० डी० पवार एक कुख्यात डकैत सैयद कल्लू जो जो एक डकैती के मामले में अन्तर्गस्त था, का पता लगाने भिवान्डी गए हुए थे। पुलिस दल सादे कपड़ो में था और इसलिए प्राईवेट कार का इस्तेमाल कर रहा था ताकि आसानी से पहचाना न जा सके । भिवान्डी में डकैत का पता नहीं लगा वापस आते हुए श्री गायकवाड़ ने एक आततायी लुटेरे मुख्तयार अहमद लक्ड्वाला को सामने की तरफ से जापान में बनी एक "यामा" मोटर साईकल पर आते हुए देखा जिसकी पिछली सीट पर एक अन्य व्यक्ति बैठा था । वह उस लूटपाट के लिए जिम्मेदार था, जिसमें मैरीन ड्राइवर पर इन्तजार कर रहे एक मोटर कार के मालिक को चाकू की नोक पर उसकी कार से बाहर फैंक दिया गया था और उसकी सभी वस्तुओं को लूटने के बाद कार को जबरदस्ती ले जाया गया था। उसी दिन अपराधी ने एक व्यापारी से 32,000 रु० लूटे थे। मुख्तयार अहमद को देखने पर, उप निरीक्षक गायकवाड़ ने अपने बहादुर को मोड़ा और मोटर साईकल को रोक कर बदमाश को रोकने की कोशिश की। लुटेरे ने गति तेज कर दी । उप-निरीक्षक गायकवाड़ ने बड़े खतरे में पड़कर उसे घेरने की कोशिश की । वह हाथापाई करने के लिए चलती कार से नीचे कूद पड़े । यह देखने पर कि उप निरीक्षक गायकवाड़ उसे पकड़ने आ रहा है , मुख्तयार अहमद ने इटली निर्मित एक पिस्तौल बाहर निकाली और उपनिरीक्षक गायकवाड़ पर गोली चलाने की कोशिश की लेकिन इससे पहले कि वह घोड़ा दबाए, उप-निरीक्षक गायकवाड़ ने उसके हाथ से पिस्तौल छीन ली। लेकिन इस समय पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति हुतियारा अहमद शेख ने रामपुरी चाकू निकाला और उप-निरीक्षक गायकवाड़ पर चाकू से हमला करने का प्रयत्न किया । इस बीच श्री डी० डी० पवार कूदकर बीच में आ गये और इलियास इब्राहीम को निशस्त्र कर दिया। जब श्री गायकवाड़ पिस्तौल को अपने जेब में रख रहे थे तो मुख्तयार ने "जापान निर्मित" एक लम्बा छुरा निकाला और उप-निरीक्षक गायकवाड़ को घोंपने का प्रयत्न किया । उस समय श्री रेडकर मुख्तयार पर झपट पड़े और छुरे को छीनने में सफल हो गए। इस हाथापाई में उप निरीक्षक को पहली अंगुली दाहिनी कलाई और पैर पर चोटें आयीं। दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस 20 लाख से अधिक मूल्य के लूटपाट के मामलों को हल करने में सफल हुई ।

कुख्यात डकैतों के साथ इस मुठभेड़ में, उप निरीक्षक फतेसिंह सोहनराव गायकवाड़, हेड कान्स्टेबल डी० आई० रेडकर और पुलिस नायक डी० डी० पवार ने उत्कृष्ट वीरता और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिए जा रहे है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 2 मार्च, 1983 से दिया जाएगा ।

सं० 48-प्रेस/84—राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री तरसेम लाल,
हेड कान्स्टेबल ,
20 बटालियन ,
सीमा सुरक्षा बल,

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदन किया गया

2 जून, 1983 को 16.45 बजे उप-कमाण्डर, कम्पनी कमाण्डर "सी" कम्पनी 20 बटालियन, सीमा सुरक्षा बल को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ कुख्यात तस्कर, बी० ओ० पी० राजोक, 20 बटालियन सीमा सुरक्षा बल के क्षेत्र से निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी करने के इरादे से गांव राजोक के कुख्यात तस्कर श्री अजीत सिंह जिला के परिसर में छिपे हैं । इस समाचार के प्राप्त होने पर उप-कमाण्डर ने सीमा सुरक्षा बल दल को तीन दलों में विभाजित किया और तस्करों को पकड़ने के उद्देश्य से क्षेत्र को तीन तरफ से घेरने के लिए, जो उनके भागने के सम्भावित मार्ग समझे जाते थे, भेजा ।

खतरे का आभास करके उपद्रवी बाहर आ गए और शाखू के पेड़ की आड़ में अनुकूल स्थान पर मोर्चा सम्भाला। सीमा सुरक्षा बल के दल ने जिसमें एक निरीक्षक, एक हेड कान्स्टेबल, (श्री तरसेम लाल) और एक कान्स्टेबल थे, उपद्रवियो तक पहुचने का सीधा प्रयत्न किया और उन्हे आत्म समर्पण के लिए ललकारा। सशस्त्र तस्करों ने अचानक सीमा सुरक्षा बल के दल पर गोलियां चलायी । उपद्रवियों द्वारा 12 बार हथियार से चलायी गयी गोली, हैड कान्सटेबल तरसेम लाल की जांघ पर लगी । गोली लगने और जख्मी होने के बावजूद उन्होंने उपद्रवियों पर हमला किया जिन्होने उन पर गोली चलायी थी और इपटे थे। उनकी उपद्रवियों के साथ हाथापाई हुई और वे 12 बोर पिस्तौल को छीनने में सफल हुए! इस दौरान, उनके दो साथी और सीमा सुरक्षा बल के अन्य कार्मिक उपद्रवियों के नजदीक आ गए और भागने हुए चार तस्करों को पकड़ने में सफल हो गए । एक उपद्रवी, अजीत सिंह जिला मुठभेड़ में मारा गया । तस्करों से 12 बोर पिस्तौल के अलावा एक 12 बोर खाली कारतूस, 1 कारतूस और 1.4 किलोग्राम अफीम बरामद की गयी ।

इस मुठभेड़ में, हैड कान्स्टेबल नरसेम लाल ने अदम्य साहस और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2 यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 2 जून 1983 से दिया जाएगा।

सं० 49-प्रेज/84—राष्ट्रपति बिहार पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री चन्द्रशेखर सिंह,
पुलिस उप-निरीक्षक,
पटना,
बिहार।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

19 जनवरी, 1981, को श्री चन्द्रशेखर सिंह, पुलिस उप-निरीक्षक, अपराधियों की तलाश में कस्बे में घूम रहे थे। उस दिन भारत के राष्ट्रपति, स्वर्गीय श्री जयप्रकाश नारायण के निवास-स्थान कदम-कुआं आने वाले थे। उप-निरीक्षक को एक मुखबिर से मालूम हुआ कि कुख्यात अपराधी ललन प्रसाद उर्फ राम प्रसाद अपने साथियों के साथ कस्बे में अपराध करने की योजना बना रहा है। गिरोह हथियारों से लैस था। उप-निरीक्षक तुरन्त गिरोह को घेरने के लिए गए। जैसे ही वे हिन्दी साहित्य सम्मेलन भवन के निकट पहुंचे अपराधी ललन प्रसाद ने अपनी देशी पिस्तौल से उप-निरीक्षक चन्द्र शेखर सिंह पर गोली चलाई। उप-निरीक्षक ने शीघ्रता से काम लिया और नाटकीय ढंग से जमीन पर लेट गए और अपराधियों की गोलियों से अपने को बचाया। जमीन पर लेटे-लेटे उन्होंने मोर्चा सम्भाला और आत्म रक्षा में अपने सर्विस रिवाल्वर से ललन प्रसाद पर गोली चलाई। ललन प्रसाद घायल हो गया और उसने जनक किशोर रोड की ओर भागना शुरू किया। उप-निरीक्षक ने अपराधी द्वारा धमकी दिए जाने के बावजूद अपराधी का पीछा किया। कुछ दूर जाने के पश्चात् अपराधी उसी बस्ती में पार्क रोड पर श्री वागेश्वरी प्रसाद के मकान में घुस गया। इस बीच वहां एक चलता-फिरता पुलिस दल पहुंचा। उप-निरीक्षक चन्द्रशेखर सिंह ललन प्रसाद को पकड़ने के लिये मकान में पहले ही घुस चुके थे। वे ललन प्रसाद को उसके भरे हुए रिवाल्वर सहित पकड़ने में सफल हो गए। अपराधी से एक भरे हुए देशी पिस्तौल सहित चार चालू कारतूस बरामद किए गए।

श्री चन्द्रशेखर सिंह, पुलिस उप-निरीक्षक, ने अपराधी को पकड़ने में उत्कृष्ट वीरता और साहस का परिचय दिया।

2 यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 19 जनवरी, 1981, से दिया जाएगा।

सं० 50-प्रेज/84—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री जसवन्त सिंह,
पुलिस उप-निरीक्षक,
छजलेट,
मुरादाबाद,
उत्तर प्रदेश।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

22 मई, 1981, को पुलिस उप-निरीक्षक श्री जसवन्त सिंह अपने क्षेत्र की आवश्यक समस्याओं पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए एक कान्स्टेबल के साथ अपनी मोटर साइकल पर सवार होकर मुख्यालय को रवाना हुए। वे मुश्किल से 2 1/2 किलोमीटर गये होंगे कि श्री जसवन्त सिंह ने एक पुलिया के पास कुख्यात डाकू चन्दा मास्टर को देखा जो सामने आ रही एक मैटाडोर वेन को रोकने की कोशिश कर रहा था। श्री जसवन्त सिंह को देखकर चन्दा मास्टर सतर्क होकर गया और भागने लगा। श्री जसवन्त सिंह ने कांस्टेबल के साथ चन्दा मास्टर का पीछा किया जिसने श्री जसवन्त सिंह पर अपनी रिवाल्वर से गोली चला दी। श्री जसवन्त सिंह तुरन्त सक्रिय हो गए और पुलिया की दीवार के पीछे शरण ली लेकिन उनको दाहिने हाथ में गम्भीर चोटें आईं। चन्दा मास्टर ने श्री जसवन्त सिंह पर कई गोलियां चलाईं परन्तु उन्हें और नुकसान नहीं हुआ क्योंकि वे पुलिया की दीवार से नीचे की ओर लगीं।

इस बीच चन्दा मास्टर ने एक पेड़ के पीछे शरण ली और अपनी रिवाल्वर को भरने लगा। श्री जसवन्त सिंह ने इसे देख लिया और तुरन्त वहां पहुंच गए। वे आड़ से तुरन्त बाहर आए और अपनी सर्विस रिवाल्वर से गोली चलाई। गोली बारी में चन्दा मास्टर मारा गया। कुख्यात डाकू चन्दा मास्टर की व्यक्तिगत तलाशी लेने पर 12 बोर का एक देशी रिवाल्वर, एक खाली कारतूस और दो भरे कारतूस बरामद हुए।

इस मुठभेड़ में, श्री जसवन्त सिंह, पुलिस उप-निरीक्षक ने अपने जीवन का खतरा लेकर उत्कृष्ट वीरता का परिचय दिया।

2 यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 22 मई, 1981 से दिया जाएगा।

सं० 51-प्रेज-84—राष्ट्रपति बिहार पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री राम प्रवेश सिंह,
पुलिस उप-निरीक्षक,
भागलपुर,
बिहार।

सेवाओं का विवरण जिसके लिए पदक प्रदान किया गया

एक कुख्यात डाकू पनिलाल मंडल और अपराधियों का उसका गिरोह वर्ष 1979—1981 में संथाल परगना जिले में सक्रिय था। उप-निरीक्षक श्री राम प्रवेश सिंह को इस कुख्यात डाकू और उसके गिरोह की गतिविधियों को रोकने के लिए इस क्षेत्र में तैनात किया गया था। 31 मार्च— 1 अप्रैल, 1982, की रात्रि को पनिलाल मंडल और उसके गिरोह ने सोनोहोला थाने के अन्तर्गत गांव माहिला में एक संगीन डकैती डाली। डाकुओं की तलाश के लिए उप-निरीक्षक आर० पी० सिंह ने तुरन्त अपने सहायक पुलिस उप-निरीक्षक और 8 सशस्त्र कान्स्टेबलों और 2 हवलदारों के एक पुलिस दल का नेतृत्व किया।

1—2 अप्रैल, 1982, के बीच की रात्रि को मौजा दीदा नगर के खुले बहियार में गिरोह की मौजूदगी का पता लगाया गया जो चारों ओर से नालों से घिरा हुआ था। पुलिस दल को देखने के पश्चात् गिरोह ने पुलिस दल पर धुंआधार गोलीबारी आरम्भ कर दी जिससे उप-निरीक्षक आर० पी० सिंह और होम गार्ड का एक कान्स्टेबल जख्मी हो गया। अपनी चोटों के बावजूद और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए श्री आर० पी० सिंह ने डाकुओं को रोकने के लिये अपने जवानों का नेतृत्व किया। पुलिस दल को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी। इस मुठभेड़ के दौरान दो डाकू मारे गए। बाद में उनकी पहचान करने पर मालूम हुआ कि वे पनिलाल मंडल (गिरोह का नेता) और नागे सिंह उर्फ नगवा उर्फ पूचे सिंह थे। अन्य डाकू अंधेरा होने के कारण भाग निकले।

इस मुठभेड़ में, श्री राम प्रवेश सिंह, उप-निरीक्षक, ने जख्मी होने के बावजूद, उत्कृष्ट वीरता, कर्तव्य परायणता और अनुकरणीय साहस का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 2 अप्रैल, 1982 से दिया जाएगा।

स० नीलकण्ठन
राष्ट्रपति का उप सचिव

वाणिज्य मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 14 मार्च 1984

सं० 14(18)/82—ई० पी० जेड—इस मंत्रालय की दिनांक 4—1—1984 की समसंख्यक अधिसूचना के संदर्भ में (भारत के राजपत्र भाग—I खंड—I में भारत के राजपत्र सं० 5 दिनांक 4—2—1984 में प्रकाशित) जिसमें मद्रास एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बोर्ड का गठन किया गया है, सरकार ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद एतद्द्वारा मद्रास एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बोर्ड के विचारार्थ विषय तथा शक्तियां एवं कार्य परिभाषित करती है जो निम्नोक्त हैं :—

(1) बोर्ड, निर्यात के लिए इस जोन में किसी विनिर्माण प्रयोजन अथवा सेवा कार्य चालन का कार्य करने के लिए निर्मा अनुमोदन हेतु प्राप्त ऐसे संबंधी आवेदन पत्रों पर विचार करेगा और अपने विवेक से अनुमोदन को मंजूर कर सकता है अथवा मंजूर करने से इंकार कर सकता है।

(2) बोर्ड अनुमोदन के साथ ऐसी कोई शर्त लगा सकता है, जिसे वह आवश्यक समझता हो।

(3) बोर्ड अपने विवेक से किसी अनुमोदन को रद्द अथवा निलम्बित कर सकता है यदि :

(क) उसका समाधान हो जाए कि अनुमोदन से सलग्न शर्त का उल्लंघन हुआ है,

(ख) उसको विश्वास हो जाए कि अनुमोदन के आधार पर उद्यम को जारी रखना जोन राज्य अथवा देश के समग्र विकास के लिए प्रतिकूल होगा;

(ग) जोन स्थित उद्यम किसी भी प्रवृत्त अधि-नियम के उपबन्धों के अन्तर्गत किसी अपराध में दोषी सिद्ध हो।

किसी अनुमोदन को निलम्बित अथवा रद्द करने से पहले बोर्ड जोन स्थित उस उद्यम को, जिसके अनुमोदन को निलम्बित अथवा रद्द किए जाने का प्रस्ताव है, सुनवाई का और ऐसी कार्यवाही का कारण बताने का उचित अवसर दिया जाएगा।

(4) बोर्ड मद्रास निर्यात प्रोसेसिंग जोन में उद्योग स्थापित करने के लिए सभी आवेदन-पत्रों पर जिनमें लघु तथा मझौले क्षेत्र के मामले भी शामिल हैं, निर्णय लेगा। केवल उन मामलों को, जिनमें उद्योग मंत्रालय द्वारा औद्योगिक लाइसेंस जारी किए जाते हैं, औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के लिए उद्योग मंत्रालय को भेजा जाएगा। ऐसे मामलों में बोर्ड केवल आशय पत्र जारी करेगा। इन सभी अन्य मामलों में, बोर्ड औद्योगिक विकास विनियम अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत समय-समय पर प्रदत्त शक्तियों के अध्यधीन अनुमोदन-पत्र तथा औद्योगिक लाइसेंस जारी करेगा।

(5) बोर्ड, जोन में पूंजीगत माल के आयात संबंधी सभी आवेदन-पत्रों पर किसी वित्तीय सीमा के बिना निर्णय लेगा।

(6) बोर्ड, दिए गए आवेदन-पत्रों के विदेशी सहयोग की शर्तों पर निर्णय लेगा।

(7) बोर्ड, जोन स्थित एककों के अपशिष्ट, स्क्रैप, सहोत्पादों तथा घटिया माल की अनुमेय प्रतिशतता के संबंध में समय-समय पर निर्णय लेगा। जिनका निपटान उनके द्वारा बोर्ड द्वारा विहित ढंग से घरेलू टैरिफ क्षेत्र में अथवा जोन से बाहर किया जाएगा।

2. जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट दिनांक 4–1–84 की अधिसूचना में पहले ही उल्लेख किया जा चुका है बोर्ड का अध्यक्ष ऐसे किसी विशिष्ट कार्य के लिए आवश्यक समझता है तब उसे किसी भी ऐसे अन्य विभाग या अभिकरण के किसी प्रतिनिधि को सहयोजित करने का अधिकार होगा, जो इसमें पहले शामिल न किया गया हो।

सं० 14(18)/82–ई० पी० जेड—इस मंत्रालय की दिनांक 4–1–1984 की समसंख्यक अधिसूचना के संदर्भ में (भारत के राजपत्र भाग–I खंड 1 में भारत के राजपत्र सं० 5 दिनांक 4–2–1984 में प्रकाशित) जिसमें मद्रास निर्यात प्रोसेसिंग जोन अथारिटी (एम० ई० पी० जेड ए०) का गठन किया गया है, सरकार ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद एतद्द्वारा एम० ई० पी० जेड० ए० के विचारार्थ विषय तथा शक्तियां एवं अधिकार परिभाषित करती है, जो निम्नांकित हैं :—

(1) अथारिटी का यह कार्य होगा कि वह निर्यात, रोजगार एवं औद्योगिक प्रौद्योगिकी के सुधार के प्रयोजनार्थ जोन में निवेश को बढ़ावा दे।

(2) अथारिटी जोन के लिए अनुमति दिए जाने वाले कार्यकलाप के स्वरूप के संबंध में निर्णय लेगी।

(3) वह जोन के लिए अपेक्षित विभिन्न उपयोगिताओं के निर्माण, रख-रखाव तथा विकास की योजना बनाने के लिए मार्गदर्शन करेगी और अगर जरूरी हुआ तो निदेश भी देगी।

(4) वह जोन के कार्य निष्पादन की समय-समय पर समीक्षा करेगी और जोन के संबंध में नीति संबंधी सभी निर्णय लेगी। अथारिटी की बैठक छः महीने में कम से कम एक बार अवश्य होगी।

(5) अथारिटी अपने कार्य करने के लिए अपने विवेक से कोई समिति अथवा समितियां गठित कर सकती है और अपनी समिति अथवा समितियों में किसी सदस्य को सहयोजित कर सकती है।

(6) अथारिटी, परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए तथा मद्रास निर्यात प्रोसेसिंग जोन के कार्य-चालन के संबंध में उठाए गए कदमों के संबंध में समय-समय पर समीक्षा कर सकती है और जोन के सुचारू रूप से कार्य करने तथा समुचित विकास के लिए ऐसे निदेश दे सकती है जिन्हें वे ठीक समझें।

(7) अथारिटी, विकास की गति में तेजी लाने के लिए, जोन में ठीक प्रकार के उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए अपेक्षित राजकोषीय तथा अन्य रियायतों के संबंध में सिफारिश करेगी। अथारिटी, विश्व में अन्य सफल मुक्त व्यापार जोनों में उपलब्ध रियायतों को ध्यान में रखेगी और मद्रास निर्यात प्रोसेसिंग जोन के लिए भी तुलनात्मक सुविधाएं देने का प्रयास करेगी। वह आयातों तथा निर्यातों की सामान्य नीति के ढांचे के भीतर घरेलू टैरिफ क्षेत्र में विहित अनुपात में तैयार उत्पादों की बिक्री उन शर्तों पर प्राधिकृत करेगी, जो उसके द्वारा निर्दिष्ट की जाए।

(8) अथारिटी एम० ई० पी० जेड से संबंधित नीति विषयक उन सभी मसलों पर निर्णय लेगी, जो कि मद्रास निर्यात प्रोसेसिंग जोन द्वारा समय-समय पर भेजे जाएं।

(9) अथारिटी ऐसे सभी विषयों के संबंध में जिनको वह मद्रास निर्यात प्रोसेसिंग जोन के शीघ्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे, भारत सरकार या तमिलनाडु सरकार को नीति संबंधी मामलों और अन्य सभी मामलों के बारे में सिफारिश करेगी।

दिनांक 4 अप्रैल 1984

सं० 14(12)/82–ई० पी० जेड—इस मंत्रालय की दिनांक 25–1–1984 की समसंख्यक अधिसूचना के संदर्भ में (भारत के राजपत्र भाग–1 खंड–1 में भारत के राजपत्र सं० 7 दिनांक 18–2–1984 में प्रकाशित (जिसमें नोएडा निर्यात प्रोसेसिंग जोन बोर्ड का गठन किया गया है, सरकार ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद एतद्द्वारा नोएडा निर्यात प्रोसेसिंग जोन बोर्ड के विचारार्थ विषय तथा शक्तियां एवं कार्य परिभाषित करती है, जो निम्नांकित हैं :—

(1) बोर्ड, निर्यात के लिए इस जोन में किसी विनिर्माण, संयोजन अथवा सेवा कार्य चालन को जारी रखने के लिए किसी अनुमोदन को मंजूरी देने संबंधी आवेदन पत्रों पर विचार करेगा और अपने विवेक से अनुमोदन को मंजूर कर सकता है अथवा मंजूर करने से इंकार कर सकता है।

(2) बोर्ड अनुमोदन के साथ ऐसी कोई शर्त लगा सकता है, जिसे वह आवश्यक समझता हो।

(3) बोर्ड अपने विवेक से किसी अनुमोदन को रद्द अथवा निलम्बित कर सकता है यदि :

(क) उसका समाधान हो जाए कि अनुमोदन से संलग्न शर्त का उल्लंघन हुआ है;

(ख) उसको विश्वास हो जाए कि अनुमोदन के आधार पर उद्यम को जारी रखना जोन, राज्य अथवा देश के समग्र विकास के लिए प्रतिकूल होगा;

(ग) जोन स्थित उद्यम किसी भी प्रवृत्त अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत किसी अपराध में दोषी सिद्ध हो। किसी अनुमोदन को निलम्बित अथवा रद्द करने से पहले बोर्ड जोन स्थित उस उद्यम को, जिसके अनुमोदन को निलम्बित अथवा रद्द किए जाने का प्रस्ताव है, सुनवाई का और ऐसी कार्यवाही का कारण बताने का उचित अवसर देगा।

(4) बोर्ड एन० ई० पी० जैड० में उद्योग स्थापित करने के लिए सभी आवेदन-पत्रों जिनमें लघु तथा मझोले क्षेत्र के मामले भी शामिल हैं, निर्णय लेगा। केवल उन मामलों को, जिनमें उद्योग मंत्रालय द्वारा औद्योगिक लाइसेंस जारी किए जाने हैं, औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के लिए उद्योग मंत्रालय को भेजा जाएगा। ऐसे मामलों में बोर्ड केवल आशय पत्र जारी करेगा। इन सभी अन्य मामलों में, बोर्ड औद्योगिक विकास विनियम अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत समय-समय पर प्रदत्त शक्तियों के अध्यधीन अनुमोदन-पत्र तथा औद्योगिक लाइसेंस जारी करेगा।

(5) बोर्ड, जोन में पूंजीगत माल के आयात संबंधी सभी आवेदन-पत्रों पर किसी वित्तीय सीमा के बिना निर्णय लेगा।

(6) बोर्ड, दिए गए आवेदन-पत्रों के विदेशी सहयोग की शर्तों पर, निर्णय लेगा।

(7) बोर्ड, जोन स्थित एककों के अपशिष्ट, स्क्रैप, सहोत्पादों तथा घटिया माल की अनुमेय प्रतिशतता के संबंध में समय-समय पर निर्णय लेगा, जिनका निपटान उनके द्वारा बोर्ड द्वारा विहित ढंग से घरेलू टैरिफ क्षेत्र में अथवा जोन के भीतर किया जाएगा।

(8) जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट दिनांक 4-1-84 की अधिसूचना में पहले ही उल्लेख किया जा चुका है बोर्ड का अध्यक्ष ऐसे किसी विशिष्ट कार्य के लिए आवश्यक समझता है तब उसे किसी भी ऐसे अन्य विभाग या अभिकरण के किसी प्रतिनिधि को सह-योजित करने का अधिकार होगा, जो इसमें पहले शामिल न किया गया हो।

सं० 14/12/82-ई० पी० जैड०—इस मंत्रालय की दिनांक 25-1-1984 की समसंख्यक अधिसूचना के संदर्भ में (भारत के राजपत्र भाग-I खंड-1 में भारत के राजपत्र सं० 7 दिनांक 18-2-1984 में प्रकाशित) जिसमें नोएडा निर्यात प्रोसेसिंग जोन अथारिटी (एन० ई० पी० जैड० ए०) का गठन किया गया है, सरकार ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद एतद्द्वारा एन० ई० पी० जैड० ए० के विचारार्थ विषय तथा शक्तियां एवं अधिकार परिभाषित करती हैं, जो निम्नोक्त हैं :—

(1) अथारिटी का यह कार्य होगा कि वह निर्यात, रोजगार एवं औद्योगिक प्रौद्योगिक के सुधार के प्रयोजनार्थ जोन में निवेश को बढ़ावा दे।

(2) अथारिटी जोन के लिए अनुमति दिए जाने वाले कार्यकलाप के स्वरूप के संबंध में निर्णय लेगी।

(3) वह जोन के लिए अपेक्षित विभिन्न उपयोगिताओं के निर्माण, रख-रखाव तथा विकास की योजना बनाने के लिए मार्गदर्शन करेगी और अगर जरूरी हुआ तो निवेश भी देगी।

(4) वह जोन के कार्य निष्पादन की समय-समय पर समीक्षा करेगी और जोन के संबंध में नीति संबंधी सभी निर्णय लेगी। अथारिटी की बैठक छः महीने में कम से कम एक बार अवश्य होगी।

(5) अथारिटी अपने कार्य करने के लिए अपने विवेक से कोई समिति अथवा समितियां गठित कर सकती है और अपनी समिति अथवा समितियों में किसी सदस्य को सहयोजित कर सकती है।

(6) अथारिटी, परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए तथा नोएडा निर्यात प्रोसेसिंग जोन के कार्यचालन के संबंध में उठाए गए कदमों के संबंध में समय-समय पर समीक्षा कर सकती है और जोन के सुचारु रूप से कार्य करने तथा समुचित विकास के लिए ऐसे निदेश दे सकती है जिन्हें वे ठीक समझें।

(7) अथारिटी, विकास की गति में तेजी लाने के लिए जोन में ठीक प्रकार के उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए अपेक्षित राजकोषों तथा अन्य रियायतों के संबंध में विनिश्चय करेगी। अथारिटी, विश्व में अन्य सफल मुक्त व्यापार जोनों में उपलब्ध रियायतों को ध्यान में रखेगी और नोएडा निर्यात प्रोसेसिंग जोन के लिए भी तुलनात्मक सुविधाएं देने का प्रयास करेगी। वह आयातों तथा निर्यातों की सामान्य नीति के ढांचे के भीतर घरेलू टैरिफ क्षेत्र में विहित अनुपात में तैयार उत्पादों की बिक्री उन शर्तों पर प्राधिकृत करेगी, जो उसके द्वारा निर्दिष्ट की जायें।

(8) अथारिटी एन० ई० पी० जैड० से संबंधित नीति विषयक उन सभी मसलों पर निर्णय लेगी, जो कि नोएडा निर्यात प्रोसेसिंग जोन द्वारा समय-समय पर उसे भेजे जायें।

(9) अथारिटी ऐसे सभी विषयों के संबंध में जिनको वह नोएडा निर्यात प्रोसेसिंग जोन के शीघ्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझें, भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार को नीति संबंधी मामलों और अन्य सभी मामलों के बारे में सिफारिश करेगी।

सं० 14/13/82-ई० पी० जैड०—इस मंत्रालय की दिनांक 14-1-1984 की समसंख्यक अधिसूचना के संदर्भ में (भारत के राजपत्र भाग-I खंड-1 में भारत के राजपत्र सं० दिनांक 4-2-1984 में प्रकाशित) जिसमें फाल्टा निर्यात प्रोसेसिंग जोन अथारिटी (एफ० ई० पी० जैड० ए०) का गठन किया गया है, सरकार ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद एतद्द्वारा एफ०

ई० पी० जैड० ए० के विचारार्थ विषय तथा शक्तियां एवं अधिकार परिभाषित करती है, जो निम्नोक्त हैं :—

(1) अथारिटी का यह कार्य होगा कि वह निर्यात, रोजगार एवं औद्योगिक प्रौद्योगिकी के सुधार के प्रयोजनार्थ जोन मे निवेश को बढावा दे ।

(2) अथारिटी जोन के लिए अनुमति दिए जाने वाले कार्यकलाप के स्वरूप के सबध मे निर्णय लेगी ।

(3) वह जोन के लिए अपेक्षित विभिन्न उपयोगिताओं के निर्माण, रख-रखाव तथा विकास की योजना बनाने के लिए मार्गदर्शन करेगी और अगर जरूरी हुआ तो निदेश भी देगी ।

(4) वह जोन के कार्य निष्पादन की समय-समय पर समीक्षा करेगी और जोन के संबंध में नीति संबंधी सभी निर्णय लेगी । अथारिटी की बैठक छः महीने में कम से कम एक बार अवश्य होगी ।

(5) अथारिटी अपने कार्य करने के लिए अपने विवेक से कोई समिति अथवा समितिया गठित कर सकती है और अपनी समिति अथवा समितियो मे किसी सदस्य को सहयोजित कर सकती है ।

(6) अथारिटी, परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए तथा फाल्टा निर्यात प्रोसेसिंग जोन के कार्यचालन के सबध मे उठाए गए कदमो के सबंध में समय-समय पर समीक्षा कर सकती है और जोन के सुचारू रूप मे कार्य करने तथा समुचित विकास के लिए ऐसे निदेश दे सकती है जिन्हें वे ठीक समझे ।

(7) अथारिटी, विकास की गति मे तेजी लाने के लिए जोन म ठीक प्रकार के उद्यमियो को आकर्षित करने के लिए अपेक्षित राजकोषो तथा अन्य रियायतो के सबंध म विनिश्चय करेगी । अथारिटी, विश्व मे अन्य सफल मुक्त व्यापार जोनों मे उपलब्ध रियायतों को ध्यान मे रखेगी और फाल्टा निर्यात प्रासेसिंग जोन के लिए भी तुलनात्मक सुविधाए देने का प्रयास करेगी । वह आयातों तथा निर्यातो की सामान्य नीति के ढाचे के भीतर घरेलू टैरिफ क्षेत्र मे विहित अनुपात मे तैयार उत्पादो की बिक्री उन शर्तों पर प्राधिकृत करेगी, जो उसके द्वारा निर्दिष्ट की जाए ।

(8) अथारिटी एफ० ई० पी० जेड० से सबधित नीति विषयक उन सभी समस्या पर निर्णय लेगी, जो कि फाल्टा निर्यात प्रोसेसिंग जोन द्वारा समय-समय पर उसे भेजे जाए ।

(9) अथारिटी ऐसे सभी विषयो के सबध मे जिनको वह फाल्टा निर्यात प्रोसेसिंग जोन के शीघ्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे, भारत सरकार या पश्चिम बगाल सरकार को नीति सबधी मामलों और अन्य सभी मामलो के बारे मे सिफारिश करेगी ।

सं० 14(13)/82-ई० पी० जेड०—इस मंत्रालय की दिनांक 4-1-1984 की समसंख्यक अधिसूचना के संदर्भ मे (भारत के राजपत्र भाग-I खंड-I मे भारत के राजपत्र सं० 5 दिनांक 4-2-1984 में प्रकाशित) जिसमें फाल्टा निर्यात प्रोसेसिंग जोन अथारिटी (एफ० ई० पी० जेड० ए०) का गठन किया गया है, सरकार ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद एतद्द्वारा फाल्टा निर्यात प्रोसेसिंग जोन बोर्ड के विचारार्थ विषय तथा शक्तियां एवं कार्य परिभाषित करती है, जो निम्नोक्त हैं :—

(1) बोर्ड, निर्यात के लिए इस जोन में किसी विनिर्माण, संयोजन अथवा सेवा कार्य चालन को जारी रखने के लिए किसी अनुमोदन को मंजूरी देने संबंधी आवेदन पत्रो पर विचार करेगा और अपनी विवेक से अनुमोदन को मंजूर कर सकता है अथवा मंजूर करने से इंकार कर सकता है ।

(2) बोर्ड अनुमोदन के साथ ऐसी कोई शर्त लगा सकता है, जिसे वह आवश्यक समझता हो ।

(3) बोर्ड अपने विवेक से किसी अनुमोदन को रद्द अथवा निलम्बित कर सकता है यदि :

(क) उसका समाधान हो जाए कि अनुमोदन से संलग्न शर्त का उल्लंघन हुआ है;

(ख) उसको विश्वास हो जाए कि अनुमोदन के आधार पर उद्यम को जारी रखना जोन, राज्य अथवा देश के समग्र विकास के लिए प्रतिकूल होगा;

(ग) जोन स्थित उद्यम किसी भी प्रवृत अधिनियम के उपबन्धो के अन्तर्गत किसी अपराध में दोषी सिद्ध हो । किसी भी अनुमोदन को निलम्बित अथवा रद्द करने से पहले बोर्ड जोन स्थित उस उद्यम को, जिसके अनुमोदन को निलम्बित अथवा रद्द किए जाने का प्रस्ताव है, सुनवाई का और ऐसी कार्यवाही का कारण बताने का उचित अवसर दिया जाएगा ।

(4) बोर्ड एफ० ई० पी० जेड० मे उद्योग स्थापित करने के लिए सभी आवेदन-पत्रो पर जिनमें लघु तथा मझोले क्षेत्र के मामले भी शामिल हैं, निर्णय लेगा । केवल उन मामलो को, जिनमें उद्योग मंत्रालय द्वारा औद्योगिक लाइसेंस जारी किए जाने हैं, औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के लिए उद्योग मत्रालय को भेजा जाएगा । ऐसे मामलों में बोर्ड केवल आशय-पत्र जारी करेगा – इन सभी अन्य मामलों मे, बोर्ड औद्योगिक विकास विनियम अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत समय-समय पर प्रदत्त शक्तियो के अध्यधीन अनुमोदन-पत्र तथा औद्योगिक लाइसेंस जारी करेगा ।

(5) बोर्ड, जोन में पूंजीगत माल के आयात संबंधी सभी आवेदन-पत्रों पर किसी वित्तीय सीमा के बिना निर्णय लेगा।

(6) बोर्ड, दिए गए आवेदन-पत्रों के विदेशी सहयोग की शर्तों पर, निर्णय लेगा।

(7) बोर्ड, जोन स्थित एककों के अपशिष्ट, स्क्रैप, सहोत्पादों तथा घटिया माल की अनुमेय प्रतिशतता के संबंध में समय-समय पर निर्णय लेगा। जिनका निपटान उनके द्वारा बोर्ड द्वारा विहित ढंग से घरेलू टैरिफ क्षेत्र में अथवा जोन के भीतर किया जाएगा।

(8) जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट दिनांक 4-1-84 की अधिसूचना में पहले ही उल्लेख किया जा चुका है बोर्ड का अध्यक्ष ऐसे किसी विशिष्ट कार्य के लिए आवश्यक समझता है तब उसे किसी भी ऐसे अन्य विभाग या अभिकरण के किसी प्रतिनिधि को सहयोजित करने का अधिकार होगा, जो इसमें पहले शामिल न किया गया हो।

सं० 14(15)/82-ई० पी० जेड०—इस मंत्रालय की दिनांक 30-1-1984 की सम-संख्यक अधिसूचना के संदर्भ में (भारत के राजपत्र भाग-I खंड 1 में भारत के राजपत्र सं० 8 दिनांक 25-2-1984 में प्रकाशित) जिसमें कोचीन निर्यात प्रोसेसिंग जोन अथारिटी (सी० ई० पी० जेड० ए०) का गठन किया गया है, सरकार ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद एतद्द्वारा सी० ई० पी० जेड० ए० के विचारार्थ विषय तथा शक्तियां एवं अधिकार परिभाषित करती है, जो निम्नोक्त है :—

(1) अथारिटी का यह कार्य होगा कि वह निर्यात, रोजगार एवं औद्योगिक प्रौद्योगिकी के सुधार के प्रयोजनार्थ जोन में निवेश को बढ़ावा दे।

(2) अथारिटी जोन के लिए अनुमति दिए जाने वाले कार्यकलाप के स्वरूप के संबंध में निर्णय लेगी।

(3) वह जोन के लिए अपेक्षित विभिन्न उपयोगिताओं के निर्माण, रख-रखाव तथा विकास की योजना बनाने के लिए मार्गदर्शन करेगी और अगर जरूरी हुआ तो निदेश भी देगी।

(4) वह जोन के कार्य निष्पादन की समय-समय पर समीक्षा करेगी और जोन के सम्बन्ध में नीति सम्बन्धी सभी निर्णय लेगी। अथारिटी की बैठक छः महीने में कम-से-कम एक बार अवश्य होगी।

(5) अथारिटी अपने कार्य करने के लिए अपने विवेक से कोई समिति अथवा समितियां गठित कर सकती है और अपनी समिति अथवा समितियों में किसी सदस्य को सहयोजित कर सकती है।

(6) अथारिटी, परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए तथा कोचीन निर्यात प्रोसेसिंग जोन के कार्यचालन के संबंध में उठाए गए कदमों के संबंध में समय-समय पर समीक्षा कर सकती है और जोन के सुचारु रूप से कार्य करने तथा समुचित विकास के लिए ऐसे निदेश दे सकती है जिन्हें वे ठीक समझे।

(7) अथारिटी, विकास की गति में तेजी लाने के लिए जोन में ठीक प्रकार के उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए अपेक्षित राजकोषों में तथा अन्य रियायतों के संबंध में विनिश्चय करेगी। अथारिटी, विश्व में अन्य सफल मुक्त व्यापार जोनों में उपलब्ध रियायतों को ध्यान में रखेगी और कोचीन निर्यात प्रोसेसिंग जोन के लिए भी तुलनात्मक सुविधाएं देने का प्रयास करेगी। वह आयातों तथा निर्यातों की सामान्य नीति के ढांचे के भीतर घरेलू टैरिफ क्षेत्र में विहित अनुपात में तैयार उत्पादों की बिक्री उन शर्तों पर प्राधिकृत करेगी, जो उसके द्वारा निर्दिष्ट की जाएं।

(8) अथारिटी सी० ई० पी० जेड० से संबंधित नीति विषयक उन सभी मसलों पर निर्णय लेगी, जोकि कोचीन निर्यात प्रोसेसिंग जोन द्वारा समय-समय पर उसे भेजे जाएं।

(9) अथारिटी ऐसे सभी विषयों के संबंध में जिनका वह कोचीन निर्यात प्रोसेसिंग जोन के शीघ्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे, भारत सरकार या केरल सरकार को नीति संबंधी मामलों और अन्य सभी मामलों के बारे में सिफारिश करेगी।

सं० 14(15)/82-ई० पी० जेड०—इस मंत्रालय की दिनांक 30-1-1984 की समसंख्यक अधिसूचना के संदर्भ में (भारत के राजपत्र भाग-I खंड-1 में भारत के राजपत्र सं० 8 दिनांक 25-2-1984 में प्रकाशित) जिसमें कोचीन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बोर्ड का गठन किया गया है, सरकार ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद एतद्द्वारा कोचीन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बोर्ड के विचारार्थ विषय तथा शक्तियां एवं कार्य परिभाषित करती है, जो निम्नोक्त हैं :—

(1) बोर्ड, निर्यात के लिए जोन में किसी विनिर्माण, संयोजन अथवा सेवा क्रियाकलाप को जारी रखने के लिए किसी अनुमोदन की मंजूरी देने संबंधी आवेदन पत्रों पर विचार करेगा और अपने विवेक से अनुमोदन को मंजूर कर सकता है अथवा मंजूर करने से इंकार कर सकता है।

(2) बोर्ड अनुमोदन के साथ ऐसी कोई शर्त लगा सकता है, जिसे वह आवश्यक समझता हो।

(3) बोर्ड अपने विवेक से किसी अनुमोदन को रद्द अथवा निलम्बित कर सकता है यदि

(क) उसका समाधान हो जाए कि अनुमोदन से संलग्न शर्तों का उल्लंघन हुआ है;

(ख) उसको विश्वास हो जाए कि अनुमोदन के आधार पर उद्यम को जारी रखना जोन, राज्य अथवा देश के समग्र विकास के लिए प्रतिकूल होगा;

(ग) जोन स्थित उद्यम किसी भी प्रवृत्त अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत किसी अपराध मे दोषी सिद्ध हो।

किसी अनुमोदन को निलम्बित अथवा रद्द करने से पहले बोर्ड जोन स्थित उस उद्यम को, जिसके अनुमोदन को निलम्बित अथवा रद्द किए जाने का प्रस्ताव है, सुनवाई का और ऐसी कार्यवाही का कारण बताने का उचित अवसर दिया जाएगा।

(4) बोर्ड सी० ई० पी० जेड० में उद्योग स्थापित करने के लिए सभी आवेदन-पत्रों पर जिनमें लघु तथा मझोले क्षेत्र के मामले भी शामिल हैं, निर्णय लेगा। केवल उन मामलों को, जिनमें उद्योग मंत्रालय द्वारा औद्योगिक लाइसेंस जारी किए जाने हैं, औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के लिए उद्योग मंत्रालय को भेजा जाएगा। ऐसे मामलों में बोर्ड केवल आशय पत्र जारी करेगा। इन सभी अन्य मामलों में, बोर्ड औद्योगिक विकास विनियम अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत समय-समय पर प्रदत्त शक्तियों के अध्याधीन अनुमोदन-पत्र तथा औद्योगिक लाइसेंस जारी करेगा।

(5) बोर्ड, जोन में पूंजीगत माल के आयात संबंधी सभी आवेदन-पत्रो पर किसी वित्तीय सीमा के बिना निर्णय लेगा।

(6) बोर्ड, दिए गए आवेदन-पत्रों के विदेशी सहयोग की शर्तों पर निर्णय लेगा।

(7) बोर्ड, जोन स्थित एककों के अपशिष्ट, स्क्रैप, सहोत्पादों तथा घटिया माल की अनुमेय प्रतिशतता के संबंध मे समय-समय पर निर्णय लेगा। जिनका निपटान उनके द्वारा बोर्ड द्वारा विहित ढंग से घरेलू टैरिफ क्षेत्र में अथवा जोन के भीतर किया जाएगा।

(8) जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट दिनांक 30-1-84 की अधिसूचना में पहले ही उल्लेख किया जा चुका है बोर्ड का अध्यक्ष ऐसे किसी विशिष्ट कार्य के लिए आवश्यक समझता है तब उसे किसी भी ऐसे अन्य विभाग या अभिकरण के किसी प्रतिनिधि को सहयोजित करने का अधिकार होगा, जो इसमें पहले शामिल न किया गया हो।

आर० सेतुरमन, अवर सचिव.

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 अप्रैल 1984

संकल्प

सं० 26012/1/83/एफ० वाई० (टी०-I)—इस मंत्रालय के संकल्प सं० 26011/1/77/एफ० वाई० (टी०-I) दिनांक 24 जुलाई, 1978 के आंशिक संशोधन में, जैसा कि समय-समय पर संशोधन किया गया, सक्षम अधिकारी की सहमति से उसकी मद सं० 12 को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है ताकि केन्द्रीय मात्स्यकी बोर्ड में छोटे मछुआरों, यंत्रीकृत नौका मालिकों तथा मत्स्यन परिसंस्करण उद्योग के प्रतिनिधियों की संख्या 7 से बढ़ाकर 12 की जा सके।

आदेश

आदेश है कि उस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/सभी विभागों तथा केन्द्रीय मात्स्यकी बोर्ड के सभी सदस्यों को भेजी जाए।

एस० पी० जाखनवाल, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 7 अप्रैल 1984

सं० 8-2/84-पी० पी० आई०—इस मंत्रालय की अधिसूचना सं० 8-10-77-पी० पी० एस० दिनांक 22-7-1978 में राजस्थान के सामने विद्यमान प्रवृष्टि के लिए विदेशों, जिनकी सरकारें इस प्रकार के प्रमाण पत्र की अपेक्षा करती है, को निर्यात की जाने वाली वनस्पतियो तथा वनस्पति उत्पादों का निरीक्षण, धूमीकरण या निर्जीवीकरण तथा उससे संबंधित पादप स्वच्छता का प्रमाण पत्र मंजूर करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियो की सूची में उप निदेशक (वनस्पति-रक्षण), राजस्थान सरकार, जयपुर (राजस्थान) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए।

राजस्थान—संयुक्त निदेशक (वनस्पति रक्षण)
राजस्थान सरकार
(जयपुर राजस्थान)

ए० एम० सिंह, अवर सचिव

समाज कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 अप्रैल 1984

संकल्प

सं० एफ० 4-1/82-एच० डब्ल्यू०-3—समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 18 मार्च, 1983 के संकल्प सख्या 4-1/82-एच० डब्ल्यू०-3 में आंशिक संशोधन

करते हुए पैरा–3 में श्री विजय मर्चेन्ट (क्रम संख्या 47 पर प्रविष्टि) के स्थान पर निम्नलिखित जोड़ा जाए :—

47. श्री एस० सी० अहुजा,
कार्यकारी अधिकारी,
नेशनल एसोसिएशन फार दि ब्लाइंड,
51, जहांगीर वाडिया बिल्डिंग,
महात्मा गांधी रोड,
बम्बई ।

आदेश

1. आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र मे प्रकाशित किया जाए ।

2. आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयो/विभागों, राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों, मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग, प्रधान मंत्री का कार्यालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय और परिषद् के सदस्यों को भेजी जाए ।

एम० सी० नरसिम्हन, संयुक्त सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 जनवरी 1984

संकल्प

सं० 601/35/82–टी० (वी०)—दूरदर्शन के लिए कार्यक्रम संबंधी योजना तैयार करने के लिए एक कार्य दल की नियुक्ति के बारे में 6 दिसम्बर, 1982, 14 मार्च, 1983, 8 अगस्त, 1983 और 30 सितम्बर, 1983 के समसंख्यक संकल्प के क्रम मे, कार्य दल द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की अवधि बढ़ाकर 31 जनवरी, 1984 तक करने का निर्णय लिया गया है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति कार्यदल के अध्यक्ष/सदस्यों, प्रधान मंत्री के कार्यालय, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों तथा सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

शिवराज सिंह, संयुक्त सचिव

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 अप्रैल 1984

सं० क्यू०–16012/5/83–डब्ल्यू० ई०—केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के नियम और विनियमों के नियम 8 के अनुसरण में, भारत सरकार श्री आर० सी० खेत्रपाल, सहायक शैक्षणिक सलाहकार, प्रौढ़ शिक्षा प्रभाग, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय (शिक्षा विभाग), नई दिल्ली को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय (शिक्षा विभाग), नई दिल्ली के अवर सचिव, श्री नरिन्द्र नाथ के स्थान पर इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के शासी निकाय के सदस्य के रूप में नामित करती है ।

चित्रा चोपड़ा, निदेशक

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 25th April 1984

No. 44-Pres./84.—The President is pleased to award the Bar to the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Madhya Pradesh Police :—

Name and rank of the officer

Shri Ram Lal Verma,
Supdt. of Police,
Sagar, Madhya Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 7th January, 1979, information was received that the gang of dacoit Hari Singh Ahir was in the jungle near village Kharmau, Police Station Banda. The Police force was divided into three parties. Shri Ram Lal Verma alongwith 8-9 officers and men reached the village and made a plan to encircle the house where the gang was to have their food on the night of the 9th January, 1979. The gang arrived in the house round about 21.30 hours and the small police party under the leadership of Shri Verma which was hiding in a room of the same house surrounded the house and also put men on the probable escape routes. The gang took all necessary precautions and posted sentries at the exit of the room.

As soon as the gang settled down Shri Verma came out of the hiding place and challenged the gang to surrender. The firing alerted the gang and they made an attempt to escape after resorting to incessant firing. The dacoit gang made several attempts to break through by the backdoor and roof of the house but all their attempts were foiled. The encounter lasted for the whole night during which the police party worked tirelessly and bravely. The encounter resulted in the liquidation of dacoit leader and nine of his associates.

In this encounter Shri Ram Lal Verma, Supdt. of Police, Sagar exhibited conspicuous gallantry, courage and leadership.

This awrd is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Bar to the President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 9th January, 1979.

No. 45-Pres./84.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Madhya Pradesh Police :—

Names and rank of the officers

Shri Kedar Singh, Circle Inspector,
Banda, Distt. Sagar, (M.P.)

Shri Asha Ram Kale, Platoon Commander,
7th Bn., MP. SAF. Bhopal.

Shri Surender Singh Thakur,
Sub-Inspector (SHO),
P.S. Banda, Distt. Sagar, (MP).

Statement of services for which the decoration has been awarded

Information was received that the gang of dacoit Hari Singh Ahir was in the jungle near village Kharmau, Police Station Banda. This information was passed on to the

Supdt. of Police. The Police force was divided into three parties. A small group of officers and men, including Shri Kedar Singh, Circle Inspector, Shri Asha Ram Kale, Platoon Commander and Shri Surender Singh Thakur, Sub-Inspector of Police, reached the village on the 9th January, 1979. A plan was drawn out to encircle the gang in a house where they were to have their food. The small police party hide itself in a room of the same house. After the arrival of the gang in the house, the house was encircled as planned. On being challenged to surrender the sentries posted at the exist of the room by the gang fired on the Supdt. of Police but they were pinned down by the prompt return of fire from Police party. This alerted the gang and they made an attempt to escape after resorting to firing. The dacoits had to retreat into the room on finding their escape route blocked. They made frequent attempts to break the defence of police party but failed by losing more men during the night long encounter. In this night long encounter 10 dacoits were killed with no casualties on the side of the police.

In this encounter with the dacoits Shri Kedar Singh, Circle Inspector of Police, Shri Asha Ram Kale, Platoon Commander and Shri Surender Singh Thakur, Sub-Inspector of Police exhibited conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 9th January, 1979.

No. 46-Pres.|84.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Madhya Pradesh Police :—

Names and rank of the officers

Shri Ram Milan Srivastava,
Dy. Supdt. of Police,
District Sagar, Madhya Pradesh.

Shri Raghav Bhushan,
Sub-Inspector (SHO),
P.S. Baratha Distt. Sagar,
Madhya Pradesh.

Shri Homsingh,
Head Constable No. 446,
2nd Bn. M.P., SAF, Gwalior.

Statement of services for which the decoration has been awarded

The information of the presence of dacoits in the jungle near village Kharmau, Police Station Banda, on the 8th January, 1979, gave the Supdt. of Police Sagar, an opportunity to close on them. A small team of officers and men placed themselves at the village and finalised a scheme to encircle the house where the gang was expected to have food on the night of the 9th January, 1979. Shri Ram Milan Srivastava, Deputy Superintendent of Police led the first Police party. At the signal from the Supdt. of Police the force was split into three parties. Shri Ram Milan Srivastava, was in the raiding party. Once the sentries of the gang were pinned down by the return of fire from the police, the Supdt. of Police rushed to the other side to ensure that his men effectively blocked any escape from the rear side. Shri Ram Milan Srivastava, encouraged his men in the raiding party to fire with determination. He directed his party to block the front escape route by heavy firing. The lobbing of grenades from the roof-top made the dacoits rush out firing indiscriminately on the police. Shri Ram Milan Srivastava and his men repulsed the charge of the dacoits.

In a desperate second attempt to scale the roof and escape from there, the dacoits fired on the balcony where Shri Raghav Bhushan had his position. Shri Bhushan with his men repelled the fire and did not allow the dacoits to escape. Shri Hom Singh, Head Constable climbed the roof-top, successively to lob about 20 grenades. His bravery in the face of shower of bullets from dacoits enabled him to escape each time and he silenced most of the dacoits. The encounter lasted for the whole night in which 10 dacoits were liquidated.

In this encounter with the dacoits Shri Ram Milan Srivastava, Deputy Supdt. of Police and Shri Raghav Bhushan, Sub-Inspector of Police and Shri Hom Singh, Head Constable exhibited conspicuous gallantry and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 9th January, 1979.

No. 47-Pres|84.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Maharashtra Police :—

Names and rank of the officers

Shri Fattesingh Sohanrao Gaikwad,
Police Sub-Inspector, CB, CID, Gr. Bombay.

Shri D. I. Redkar,
Head Constable, CB, CID, Gr. Bombay.

Shri D. D. Pawar,
Police Naik, CB, CID, Gr. Bombay.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 2nd March, 1983, Police Sub-Inspector, Fattesingh Sohanrao Gaikwad, Head Constable D. I. Redkar, and Police Naik D. D. Pawar of Crime Branch, CID, Greater Bombay had gone to Bhiwandi to trace a notorious dacoit Seyed Kallu who was involved in a dacoity case. The Police Party was in plain clothes and were using a private Motor Car to avoid easy identification. The dacoit was not traced at Bhiwandi. While returning Shri Gaikwad noticed one desparado Muktyar Ahmed Lakdawala coming in a Japanese made "YAHMA" motor cycle with a pillon rider from the opposite direction. He was responsible for the robberies in which a motor car owner waiting at Marine Drive was thrown out of his car at the point of knife and after robbing all his belongings the car was taken away by force. On the same day the culprit robbed a businessman by snatching Rs. 32,000. On seeing Muktyar Ahmed, Sub-Inspector Gaikwad turned his vehicle and tried to stop the desparado by holding the motor cycle. The robber picked up high speed. The Sub-Inspector Gaikwad tried to corner him at a great risk. He jumped out of the moving car to grapple with him. On seeing Sub-Inspector Gaikwad catching him, Muktyar Ahmed pulled out a Italian make revolver and tried to fire at Sub-Inspector Gaikwad. However, the Sub-Inspector snatched the revolver from his hand before he could press the trigger. But this time the pillion rider Ilias Ahmed Shaikh whipped out a "Rampuri" knife and attempted to stag Sub-Inspector Gaikwad. Shri D. D. Pawar pounced in between and disarmed Ilias Ibrahim. While Shri Gaikwad was keeping the revolver in his pocket Muktyar pulled out a "Japanese made" long dagger and tried to stab Sub-Inspector Gaikwad. At that time Shri Redkar sweeped on Muktyar and succeeded in snatching the dagger. During the scuffle the Sub-Inspector got injuries on his first finger, right wrist and abdomen Both the culprits were arrested and police were able to solve the cases of robberies valued at more than Rs. 20 lakhs.

In this encounter with the notorious dacoits, Sub-Inspector Fattesingh Sohanrao Kaikwad, Head Constable D. I. Redkar and Police Naik D. D. Pawar exhibited conspicuous gallantry and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 2nd March, 1983.

No. 48-Pres|84.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force:—

Name and rank of the officer

Shri Tarsem Lal,
Head Constable,
20 Bn. BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 2nd June, 1983, at about 16.45 hours Deputy Commandant, Company Commander 'C' Coy., 20 Battalion Border Security Force received an information that some smugglers were hiding in the premises of one notorious smuggler Shri Ajit Singh Jita of Village Rajoke for the purpose of smuggling contraband goods through the area of BOP Rajoke of 20 Battalion, Border Security Force. On getting this news the Dy. Commandant divided the Border Security Force Party into three groups and sent them to encircle the area from three sides considered to be the likely escape routes of miscreants with a view to apprehend them.

Sensing danger, the miscreants moved out and occupied a vantage point taking the cover of a Bunyan tree. The Border Security Force Party comprising of one Inspector, one Head Constable (Shri Tarsem Lal) and a Constable, made a frontal bid to reach the miscreants and challenged them to surrender. The armed smuggler suddenly opened fire on the Border Security Force party. Head Constable Tarsem Lal was hit in his left thigh by a 12 bore weapon shot fired by the miscreants. Despite his having been hit and injured he charged the miscreants who had fired at him and pounced upon him. He grappled with the criminal and was successful in snatching his 12 bore pistol. In the meantime, two of his associates and the other Border Security Force personnel closed on the miscreants and managed to apprehend four of the fleeing smugglers. One miscreant Ajit Singh Jita was killed in the encounter Besides the 12 bore pistol, one 12 bore fired cartridge, 4 live cartridges and 1.4 Kgs of opium were seized from the smuggler

In this encounter, Head Constable Tarsem Lal exhibited conspicuous courage and devotion to duty.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 22nd March, 1983.

No. 49-Pres|84.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Bihar Police :—

Name and rank of the officer

Shri Chandra Shekhar Singh,
Sub-Inspector of Police,
Patna, Bihar.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 19th January, 1981, Shri Chandra Shekhar Singh, Sub-Inspector of Police was moving in the town in search of criminals. The President of India was expected to visit the residence of Late Shri Prakash Narain, Kadam Kuan that day. Sub-Inspector came to know through an informar that Lallan Prasad alias Ram Prasad, a veteran criminal alongwith his associates was planning to commit crime in the town. The gang was equipped with arms. The Sub-Inspector quickly moved to nab the gang. As soon as he reached near Hindi Sahitya Sammelan Bhawan, the criminal Lallan Prasad fired at the Sub-Inspector Chandra Shekhar Singh with his country made revolver. The Sub-Inspector acted quickly and dramatically laid down on the ground and escaped from the bullets of the criminal While lying on the ground the took position and fired at Lallan Prasad with his service revolver n iself defence. Lallan Prasad was injured and he started fleeing towards Janak Kishore Road The Sub-Inspector followed the criminal inspite of threat from the criminal. After covering some distance, the criminal ran inside the house of Shri Bageshwari Prasad at Park Road in the same locality In the meantime, a police mobile party reached there. Sub-Inspector Chandra Shekhar Singh had already entered into the house to nab Lallan Prasad. He succeeded in capturing Lallan Prasad with his loaded revolver. Four live cartridges alongwith a loaded country made revolver were recovered from the criminal.

Shri Chandra Shekhar Singh, Sub-Inspector of Polcie exhibited conspicuous gallantry and courage in capturing the criminal.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 19th January 1981.

No. 50-Pres|84.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :

Name and rank of the officer

Shri Jaswant Singh,
Sub Inspector of Police,
Chhajlet, Moradabad,
Uttar Pradesh

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 22nd May, 1981, Shri Jaswant Singh, Sub-Inspector of Police alongwith one constable started on his Motor Cycle for Headquarters to discuss urgent problems of his circle with his Superior Officers. They had hardly covered 2½ Kms, when Shri Jaswant Singh spotted the notorious outlay Chanda Master near a culvert making an attempt to stop a Motador Van which was running ahead of him. On seeing Shri Jaswant Singh, Chanda Master got alarmed and began to run away. Shri Jaswant Singh alongwith the Constable chased Chanda Master who opened fire on Shri Jaswant Singh with his pistol. Shri Jaswant Singh reacted quickly and shelter behind the wall of the culvert but he received serious injuries in his right hand. Chanda Master fired several shots at Shri Jaswant Singh but did not cause further harm because it hit the low wall of the culvert.

In the meantime, Chanda Master took shelter behind a tree and began to load his pistol Shri Jaswant Singh noticed it and reacted quickly. He dashed out of cover and opened fire from his service revolver. In the exchange of fire Chanda Master was shot dead From the personal search of the notorious dacoit Chanda Master, one country made pistol of 12 bore, one empty cartridge and two live cartridges were recovered.

In this encounter, Shri Jaswant Singh, Sub-Inspector of Police exhibited conspicuous gallantry at the risk of his life.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 22nd May, 1981.

No. 51-Pres|84.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Bihar Police :—

Name and rank of the officer

Shri Ram Pravesh Singh,
Sub-Inspector of Police,
Bhagalpur, Bihar.

Statement of Services for which the decoration has been awarded.

Pati Lall Mandal, a veteran dacoit and his gang of criminals was active in Santhal Parganas District in the year 1979-1981. Shri Ram Pravesh Singh, Sub-Inspector of Police was posted to this area for curbing the activities of this notorious dacoit and his gang. On the night of the 31st March, 1st April, 1982 Pati Lall Mandal, and his gang committed a serious dacoity in Village Mehilla, under Sonhaulla Police Station. Sub-Inspector R P. Singh immediately led a police party consisting of his A S.I. and 8 Armed Constables and 2 Havildars, in search of he dacoits.

On the night intervening the 1st-2nd April, 1982 the gang was located in the open Bahiar of Mouza Dida Nagar which is surrounded by rivulets on all sides. On seeing the police party the gang began to fire indiscriminately on the police party injuring Sub-Inspector R. P. Singh and one Home Guard Constable. Despite his injuries and ignoring his personal safety Shri R P Singh led his men to intercept the gang. The

Police party resorted to firing in self-defence. During this encounter two dacoits were killed who were later on identified as Pati Lall Mandal (Leader of the gang) and Nago Singh alias Nagwa alias Fucho Singh. Other dacoits managed to excape under the cover of darkness.

In this encounter, Shri Ram Pravesh Singh, Sub-Inspector exhibited conspicuous gallantry, devotion to duty and exemplary courage despite the fact that he was himself injured.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special alloance admissible under rule 5, with effect from the 2nd April, 1982.

The 28th April 1984

No. 55-Pres|84.—Corrigendum—The following amendement is made in this Secretariat Notification No. 20-Pres|84. dated the 26th January, 1984. Published in Part I, SectionI of the Gazette of India dated the 10th March, 1984, relating to the award of the 'Param Vishisht Seva Medal' :—

At page 1

Serial No. 5

For Lieutenant General Sahdev Sehgal (IC-2304), Infantry

Read Lieutenant General Sehdev Sehgal (IC-2304), Infantry.

S. NILAKANTAN
Dy. Secy. to the President

MINISTRY OF COMMERCE

DEPARTMENT OF COMMERCE

New Delhi, the 14th March 1984

No. 14(18)/82-EPZ—With reference to this Ministry's Notification of even number dated 4-1-1984 (Published in the Gazette of India Part-I Section-I in No. 5 of Gazette of India dated 4-2-1984) constituting the Madras Export Processing Zone Board, the Government after careful consideration hereby define the terms of reference and powers and functions of Madras Export Processing Zone Board hereunder :—

1. The Board shall consider applications for grant of an approval for carrying on within the zone any manufacture, assembly or service operation for export and may in its discretion grant or refuse to grant the approval.

2. The Board may attach to an approval any condition as it may consider necessary.

3. The Board may in its discretion revoke or suspend an approval if :

(a) It is satisfied that there has been a breach of a condition attached to the approval;

(b) it is convinced that the continuance of the enterprise based upon the approval would be prejudical to the overall development of the Zone; the state or the country;

(c) the zone enterprise is convicted of an offence under the provisions of any Act in force.

Before suspending or revoking an approval the Board shall give a reasonable opportunity to the zone enterprise whose approval is proposed to be suspended or revoked, of being heard and showing cause against such action.

4. The Board shall take decisions on all applications for setting up industries in MEPZ, including cases for the small scale and medium scale sector. Only those cases where industrial licence has to be issued by Ministry of Industries, will be referred to the Industries Ministry for issuing industrial licence. In such cases, the Board will issue Letter of Intent only. In all other cases, the Board will issue Letter of Approval and industrial licence subject to the powers delegated under the IDR Act, 1951, from time to time.

5. The Board will take decision on all applications for import of capital goods into the zone and without any monetary limit.

6. The Board will take decisions on the terms and conditions of foreign collaboration of applications made.

7. The Board shall take decisions from time to time on the permissible percentage of waste, scrap, bye-products and sub-standard goods of zone units which may be disposed off by them in the Domestic Tariff Area or within the Zone in the manner prescribed by the Board.

8. As already mentioned in the notification dated 4-1 84 referred to above, the Chairman of the Board is authorised to co-opt any representative of any other Department or Agency not already included in it, if he finds it necessary for any specific purpose.

No. 14(18)|82-EPZ.—With reference to this Ministry's notification of even number dated 4-1-1984 (published in the Gazette of India, Part-I Section-I in No. 5 of Gazette of India dated 4-2-1984), constituting the Madras Export Processing Zone Authority (MEPZA), the Government after careful consideration hereby define the terms of reference and powers and functions of MEPZA, as hereunder :—

1. It shall be the function of the Authority to promote investments in the zone for purpose of export, employment and improvement of industrial technology

2. The Authority shall decide on matters regarding nature of activities to be allowed for the zone.

3. It shall provide guidelines and if necessary, issue directives for planning for the construction maintenance and development of the various utilities required for the Zone.

4. It shall periodically review the performance of the Zone and take all policy decisions relating to the zone. The Authority shall meet at least once in six months.

5. The Authority may constitute any committee or committees and may coopt any member to its committee or committees in its discretion for discharging its functions.

6. The Authority may review time to time steps taken to implement the project and working of the Madras Export Processing Zone and may give such directions as it may deem fit for the smooth functioning and proper growth of the zones.

7. The Authority will take decisions on fiscal and other concessions required to attract the right type of entrepreneurs to the zone for quickening its pace of development. The Authority will keep in view concessions available in other successful Free Trade Zones in the world and strive to give comparative facilities for Madras Export Processing Zone. It shall, within the framework of the General Policy for Imports and Exports authorise the sale of a prescribed proportion of finished products in the domestic tariff area, or such terms and conditions, as may be specified by it

8. The Authority will decide upon all policy issues regarding MEPZ which will be referred to it by the Madras EPZ Board from time to time

9. The Authority will make recommendations on policy matters and all other matters to the Government of India or to the Government of Tamil Nadu on all issues it considers essential in order to ensure rapid development of Madras Export Processing Zone.

The 4th April 1984

No. 14(12)/82-EPZ—With reference to this Ministry's notification of even number dated 25-1-1984 (Published in the Gazette of India Part-I Section-I in No. 7 of Gazette of India dated 18-2-1984), constituting the Noida Export Processing Zone Board, the Government after careful consideration

hereby define the terms of reference and powers and functions of Noida Export Processing Zone Board hereunder :—

1. The Board shall consider applications for grant of an approval for carrying on within the zone any manufacture, assembly or service operation for export and may in its discretion grant or refuse to grant the approval.

2. The Board may attach to an approval any condition as it may consider necessary.

3. The Board may in its discretion revoke or suspend an approval if :

(a) It is satisfied that there has been a breach of a condition attached to the approval;

(b) it is convinced that the continuance of the enterprise based upon the approval would be prejudical to the overall development of the Zone; the state or the country;

(c) the zone enterprise is convicted of an offence under the provisions of any Act in force.

Before suspending or revoking an approval the Board shall give a reasonable opportunity to the zone enterprise whose approval is proposed to be suspended or revoked of being heard and showing cause against such action

4. The Board shall take decisions on all applications for setting up industries NEPZ, including cases for the small scale and medium scale sector. Only those cases where industrial licence has to be issued by Ministry of Industries, will be referred to the Industries Ministry for issuing industrial licence. In such cases the Board will issue Letter of Intent only. In all the other cases, the Board will issue Letter of Approval and industrial licence subject to the powers delegated under the IDR Act, 1951, from time to time.

5. The Board will take decision on all applications for import of capital goods into the zone and without any monetary limit.

6 The Board will take decisions on the terms and conditions of foreign collaboration of applications made.

7. The Board shall take decisions from time to time on the permissible percentage of waste, scrap, bye-products and sub-standard goods of zone units which may be disposed off by them in the Domestic Tariff Area or within the Zone in the manner prescribed by the Board.

8. As already mentioned in the notification dated 25-1-84, referred to above, the Chairman of the Board is authorised to co-opt any representative of any other Department or Agency not already included in it, if he finds it necessary for any specific purpose.

No. 14(12)/82-EPZ.—With reference to this Ministry's notification o even number dated 25-1-1984 (Published in in Gazette of India Part-I Section-1 in No. 7 of the Gazette of India dated 18-2-84), constituting the Noida Export Processiny Zone Authority (NEPZA), the Government after careful consideration hereby define the terms of reference and powers and functions of NEPZA, as hereunder :—

1. It shall be the function of the Authority to promote investments in the zone for purpose of export, employment and improvement of industrial technology

2. The Authority shall decide on matters regarding nature of activities to be allowed for the zone.

3. It shall provide guidelines and if necessary, issue directives for planning for the construction, maintenance and development of the various utilities required for the Zone.

4 It shall periodically review the performance of the Zone and take all policy decisions relating to the zone. The Authority shall meet at least once in six months.

5. The Authority may constitute any committee or committees and may coopt any member to its committee or committees in its discretion for discharging its functions.

6. The Authority may review from time to time steps taken to implement the project and working of the Madras Export Processing Zone and may give such directions as it may deem fit for the smooth functioning and proper growth of the zones.

7. The Authority will take decisions on fiscal and other concessions required to attract the right type of entrepreneurs to the zone for quickening its pace of development. The Authority will keep in view concessions available in other successful Free Trade Zones in the world and strive to give comparative facilities for Noida Export Processing Zone. It shall, within the framework of the General Policy for Imports and Exports authorise they sale of a prescribed proportion of finished products in the domestic tariff area, or such terms and conditions, as may be specified by it.

8. The Authority will decide upon all policy issues regarding NEPZ which will be referred to it by the Noida EPZ Board from time to time.

9. The Authority will make recommendations on policy matters and all other matters to the Government of India or to the Government of on all issues it considers it considers essential in order to ensure rapid development of Noida Export Processing Zone.

No. 14(13)/82-EPZ.—With reference to this Ministry's notification of even number dated 4-1-1984 (published in the Gazette of India Part-I Section-I in No. 5 of the Gazette of India dated 4-2-1984, constituting the Falta Export Processing Zone Authority (FEPZA), the Government after careful consideration hereby define the terms of reference and powers and functions of FEPZA, as hereunder :—

1. It shall be the function of the Authority to promote investments in the zone for purpose of export, employment and improvement of industrial technology

2. The Authority shall decide on matters regarding nature of activities to be allowed for the zone.

3. It shall provide guidelines and if necessary, issue directives for planning for the constructionfi maintenance and development of the various utilities required for the Zone.

4. It shall periodically review the performance of the Zone and take all policy decisions relating to the zone. The Authority shall meet at least once in six months.

5. The Authority may constitute any committee or committees and may coopt any member to its committee or committees in its discretion for a discharging its functions.

6. The Authority may review from time to time steps taken to implement the project and working of the Falta Export Processing Zone and may give such directions as it may deem fit for the smooth function ing and proper growth of the zones.

7. The Authority will take decisions on fiscal and other concessions required to attract the right type of enterpreneurs to the zone for quickening its pace of development. The Authority will keep in view concessions available in other successful Free Trade Zones in the world and strive to give comparative facilities for Falta Export Processing Zone. It shall, within the framework of the General Policy for Imports and Exports authorise the sale of a prescribed proportion of finished products in the domestic tariff area, or such terms and conditions, as may be specified by it.

8. The Authority will decide upon all policy issues regarding FEPZ which will be referred to it by the Falta EPZ Board from time to time.

9. The Authority will make recommendations on policy matters and all other matters to the Government of India or to the Government of West Bengal on all issues it considers essential in order to ensure rapid development of Falta Export Processing Zone.

No. 14(13)[82-EPZ.—With reference to this Ministry's Notification of even number dated 4-1-84 (published in the Gazette of India Part-I Section-I in No. 5 of Gazette of India dated 4-2-1984) constituting the Falta Export Processing Zone Board, the Government after careful consideration hereby define the terms of reference and powers and functions of Falta Export Processing Zone Board hereunder :—

1. The Board shall consider applications for grant of an approval for carrying on within the zone any manufacture, assembly or service operation for export and may in its discretion grant or refuse to grant the approval.

2. The Board may attach to an approval any condition as it may consider necessary.

3. The Board may in its discretion revoke or suspend an approval if :

(a) It is satisfied that there has been a breach of a condition attached to the approval;

(b) it is convinced that the continuance of the enterprise based upon the approval would be prejudicial to the overall development of the Zone; the state or the country;

(c) the zone enterprise is convicted of an offence under the provisions of any Act in force.

Before suspending or revoking an approval the Board shall give a reasonable opportunity to the zone enterprise whose approval is proposed to be suspended or revoked, of being heard and showing cause against such action.

4. The Board shall take decisions on all applications for setting up industries in FEPZ, including cases for the small scale and medium scale sector. Only those cases where industrial licence has to be issued by Ministry of Industries, will be referred to the Industries Ministry for issuing industrial licence. In such cases the Board will issue Letter of Intent only. In all the other cases, the Board will issue Letter of Approval and industrial licence subject to the powers delegated under the IDR Act, 1951, from time to time.

5. The Board will take decision on all applications for import of capital goods into the zone and without any monetary limit.

6. The Board will take decisions on the terms and conditions of foreign collaboration of applications made.

7. The Board shall take decisions from time to time on the permissible percentage of waste, scrap, bye-products and sub-standard goods of zone units which may be disposed off by them in the Domestic Tariff Area or within the Zone in the manner prescribed by the Board.

8. As already mentioned in the notification dated 4-1-84, referred to above, the Chairman of the Board is authorised to co-opt any representative of any other Department or Agency not already included in it, if he finds it necessary for any specific purpose.

No. 14(15)/82-EPZ.—With reference to this Ministry's notification of even number dated 30-1-1984 (published in the Gazette of India Part-I Section-I in No. 8 of Gazette of India dated 25-2-1984), constituting the Cochin Export Processing Zone Authority (CEPZA), the Government after careful consideration hereby define the terms of reference and powers and functions of CEPZA, as hereunder :—

1. It shall be the function of the Authority to promote investments in the zone for purpose of export, employment and improvement of industrial technology.

2. The Authority shall decide on matters regarding nature of activities to be allowed for the zone.

3. It shall provide guidelines and if necessary, issue directives for planning for the construction, maintenance and development of the various utilities required for the Zone.

4. It shall periodically review the performance of the Zone and take all policy decisions relating to the zone. The Authority shall meet at least once in six months.

5. The Authority may constitute any committee or committees and may coopt any member to its committee or committees in its discretion for discharging its functions.

6. The Authority may review from time to time steps taken to implement the project and working of the Cochin Export Processing Zone and may give such directions as it may deem fit for the smooth functioning and proper ghowth of the zones.

7. The Authority will take decisions on fiscal and other concessions required to attract the right type of entrepreneurs to the zone for quickening its pace of development. The Authority will keep in view concessions available in other successful Free Trade Zones in the world and strive to give comparative facilities for Cochin Export Processing Zone. It shall, within the framework of the General Policy for Imports and Exports authorise the sale of a prescribed proportion of finished products in the domestic tariff area, or such terms and conditions, as may be specified by it.

8. The Authority will decide upon all policy issues regarding CEPZ which will be referred to it by the Cochin EPZ Board from time to time.

9. The Authority will make recommendations on policy matters and all other matters to the Government of India or to the Government or Kerala on all issues it considers essential in order to ensure rapid development of Cochin Export Processing Zone.

No. 14(15)/82-EPZ.—With reference to the Ministry's notification of even number dated 30-1-1984 (published in the Gazette of India Part-I Section-I in No. 8 of Gazette of India dated 25-2-1984), constituting the Cochin Export Processing Zone Board, the Government after careful consideration hereby define the terms of reference and powers and functions of Cochin Export Processing Zone Board hereunder :—

1. The Board shall consider applications for grant of an approval for carrying on within the zone any manufacture, assembly or service operation for export and may in its discretion grant or refuse to grant the approval.

2. The Board may attach to an approval any condition as it may consider necessary.

3. The Board may in its discretion revoke or suspend an approval if :

(a) It is satisfied that there has been a breach of a condition attached to the approval;

(b) it is convinced that the continuance of the enterprise based upon the approval would be prejudicial to the overall development of the Zone; the state or the country;

(c) the zone enterprise is convicted of an offence under the provisions of any Act in force.

Before suspending or revoking an approval the Board shall give a reasonable opportunity to the zone enterprise whose approval is proposed to be suspended or revoked, of being heard and showing cause against such action.

4. The Board shall take decisions on all applications for setting up industries in CEPZ, including cases for the small scale and medium scale sector. Only those cases where industrial licence has to be issued by Ministry of Industries, will be referred to the Industries Ministry for issuing industrial licence. In such cases, the Board will issue Letter of Intent only. In all the other cases, the Board will issue Letter of Approval and industrial licence subject to the powers delegated under the IDR Act, 1951, from time to time.

5. The Board will take decision on all applications for import of capital goods into the zone and without any monetary limit.

6. The Board will take decisions on the terms and conditions of foreign collaboration of applications made.

7. The Board shall take decisions from time to time on the permissible percentage of waste, scrap, bye-products and sub-standard goods of zone units which may be disposed off by them in the Domestic Tariff Area or within the Zone in the manner prescribed by the Board.

8. As already mentioned in the notification dated 30-1-84, referred to above, the Chairman of the Board is authorised to co-opt any representative of any other Department or Agency not already included in it, if he finds it necessary for any specific purpose.

R. SETHURAMAN, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 17th April 1984

No. 26012|1|83|FY(T—I).—In partial modification of this Ministry's Resolution No. F.26011|1|77|FY(T—I) no. dt. 24th July, 1978, as amended, from time to time, it has been decided with the approval of the competent authority to amend Item No. (12) thereof, so as to raise the number of representatives of small fishermen, mechanized boat owners and fish processing industry in the Central Board of Fisheries (C.B.F.), from seven to twelve.

ORDER

It is hereby ordered that a copy of this Resolution be communicated to all State Govts., all Ministries/Deptt. of the Govt. of India and to all members of the C.B.F.

S. P. JAKHANWAL, Jt. Secy.

New Delhi, the 7th April 1984

No. 8-2/84-PPSI.—In this Ministry's Notification No. 8-10/77-PPS dated 22-7-1978 for the existing entry against Rajasthan, the following shall be substituted in place of Deputy Director (Plant Protection), Government of Rajasthan, Jaipur (Rajasthan) in the list of officers authorised to inspect, fumigate or disinfect and to grant phytosanitary Certificates in respect of plants and plant products, intended for export to foreign countries, the Governments of which require such certificates :

Rajasthan : Joint Director (Plant Protection)
Government of Rajasthan,
Jaipur (Rajasthan)

A. M. SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF SOCIAL WELFARE

New Delhi, the 11th April 1984

RESOLUTION

No. F. 4-1/82-HW.III.—In partial modification of Ministry of Social Welfare, Government of India Resolution No. 4-1/82-HW.III dated 18 March, 1983, in para 3 the following may be added in lieu of Shri Vijay Merchant (entry at Sl. No. 47).

47. Shri S. C. Ahuja,
Executive Officer.
National Association for the Blind,
51, Jahangirwadia Building.
Mahatma Gandhi Road,
Bombay.

ORDER

1. ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

2. ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the Ministries/Departments of Government of India, State Governments/Administrations of Union Territories, Cabinet Sectt., Planning Commission, Prime Minister's Office, Lok Sabha Sectt., Rajya Sabha Sectt. and the Members of the Council.

M. C. NARASIMHAN, Jt. Secy.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 21st January 1984

RESOLUTION

No. 601|35|82-TV.—In continuation of the Resolution of even number dated the 6th December, 1982, 14th March, 1983, 8th August, 1983 and 30th September, 1983 appointing a Working Group to prepare software plan for Doordarshan, it has been decided to extend the time limit of submission of its report by the Working Group till 31st January, 1984

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman/Members of the Working Group, Prime Minister's Office, All Ministries and Departments of the Government of India and all State Governments and Union Territories.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. R. SINGH, Jt. Secy.

MINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION

(DEPARTMENT OF LABOUR)

New Delhi, the 12th April 1984

No. Q-16012|5|83-WE.—In pursuance of Rule 8 of the Rules and Regulations of the Central Board for Workers Education, the Government of India hereby nominate Shri R. C. Khetarpal, Assistant Educational Adviser, Adult Education Division, Ministry of Education and Culture (Department of Education), New Delhi, as a member of the Governing Body of the Central Board for Workers' Education vide Shri Narinder Nath, Under Secretary, Ministry of Education (Department of Education), Government of India, New Delhi with effect from the date of issue of this Notification.

CHITRA CHOPRA, Director

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1984